जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 08/2016

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 08/2016 अनवानी 1–नंदराम पुत्र नत्थूराम निवासी वार्ड न0 12, सुखवंत पैलेस के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 2–हंसराज 3–बीरबलराम 4–नेमादेवी 5–प्रेमकुमार 6–मन्जू बनाम 1–पूर्णराम पुत्र खेताराम जाति कुम्हार नि0 5 वाई तह0 श्रीगंगानगर 2–विरेन्द्रप्रताप सिंह 3–तहसीलदार श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री कृष्णलाल उपस्थित है। अप्रार्थी पूर्णराम व विरेन्द्रप्रताप सिंह के अभिभाषक श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री प्रदीप सिहाग का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 256/2015 अनवानी पूर्णराम आदि बनाम हंसराज आदि धारा 251(क) आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 256/2015 अनवानी पूर्णराम आदि बनाम हंसराज आदि धारा 251(क) आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर